(8)

पत्रांक: 18 /030/एच/वि0 एवं ले0/98
दिनांक: 02 अप्रैल, 2008

कार्यालय आदेश

पूँजीगत/गैरपूँजीगत व्यय से सम्बन्धित कय हेतु परियोजना कियान्वयन इकाई स्तर निम्न प्रकिया अपनाई जायेगी:–

1. रू0 2,500/– तक मूल्य की सामग्री के कय हेतु कोटेशन/टेण्डर आदि आमंत्रित किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
2. रू0 2,500/– से अधिक किन्तु रू0 15,000/– से अनधिक मूल्य की सामग्री न्यूनतम तीन कोटेशन आमंत्रित कर कय की जा सकेगी।
3. (अ) रू0 15,000/– से अधिक मूल्य की सामग्री के कय हेतु टेण्डरिंग की निर्धारित प्रकिया अपनाई जायेगी।

   (ब) डी0जी0एस0 एण्ड डी0/उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 का दर अनुबन्ध उपलब्ध होने पर उक्त कय की कार्यवाही डी0जी0एस0 एण्ड डी0/उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 अनुबन्ध पर की जा सकती है।

   (स) अमेरिकी डॉलर 20,000/– से अधिक मूल्य की सामग्री कय किये जाने की स्थिति में प्रथम चरण के प्रोजेक्ट एप्रेज़ल डाक्यूमेण्ट के परिशिष्ट–6 के अन्तर्गत विश्व बैंक की निर्धारित बिडिंग प्रकिया (एन0सी0बी0/आई0सी0बी0) के अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
4. विशेष प्रकार के उपकरण अथवा किसी उपकरण के पुर्जे सीधे निर्माता फर्म द्वारा कय किये जाने की दशा में 'डायरेक्ट कान्ट्रैक्टिंग' के अन्तर्गत कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित किये जाने आवश्यक नहीं होंगे परन्तु यदि वे उपकरण या पुर्जे फर्म के अधिकृत विकेताओं के माध्यम से कय किये जाने हों तो उस फर्म के दो तीन अधिकृत विकेताओं से कोटेशन प्राप्त कर उपकरणों की दरों का तुलनात्मक परीक्षण कर कय की कार्यवाही की जायेगी।
5. संचार संयत्र, कम्प्यूटर्स, वैज्ञानिक संयत्र एवं लिक्विड नाइट्रोजन कन्टेनर आदि का कय विश्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार किया जायेगा।
6. उपार्जन हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन निम्नवत् होगा:–
   a. उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालयाध्यक्ष के समतुल्य अधिकार नोडल अधिकारी में निहित होंगे।
   b. परियोजना के विभिन्न विभागीय घटकों के विभागाध्यक्षों को वित्तीय स्वीकृति देने का अधिकार शासन द्वारा प्रदत्त विभागाध्यक्ष की अधिकार सीमा तक होगा।
   c. वित्तीय उपाशय के शेष प्रकरणों में जिनमें वित्तीय स्वीकृति हेतु अपेक्षित धनराशि विभागाध्यक्ष स्तर पर निहित अधिकारों से अधिक होगी, के उपार्जन की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव से प्राप्त करते हुये कय की कार्यवाही गठित कय समिति की संस्तुति पर

विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव की स्वीकृति से की जायेगी जिसके कम में अभीष्ट क्रय के लिये वित्तीय स्वीकृति का अधिकार विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव में निहित होगा।

7. *रू0 15,000.00 से अधिक मूल्य की सामग्री, सिविल कार्य या परामर्शी सेवा का क्रय निम्नलिखित समिति की संस्तुति उपरान्त सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पर किया जायेगाः–

निदेशक/प्रबन्ध निदेशक	अध्यक्ष
विभाग के वित्त प्रभाग के वरिष्ठतम अधिकारी/पी0सी0डी0एफ0 में वित्त प्रभाग के वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
सम्बन्धित पी0आई0यू0 के नोडल अधिकारी	सदस्य सचिव
परियोजना समन्वयक, डास्प द्वारा पी0सी0यू0 से नामित सदस्य	सदस्य

*कम्प्यूटर क्रय की कार्यवाही किये जाने पर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उ0प्र0 के प्रतिनिधि समिति के अनिवार्य सदस्य होंगे।

8. प्रथम चरण में विभिन्न उपार्जन विधियों हेतु कट–ऑफ लिमिट्स डॉलर मूल्य में निर्धारित थी अतः द्वितीय चरण में कट–ऑफ लिमिट्स निर्धारण के लिये अमेरिकी डॉलर से भारतीय रूपये में परिवर्तन हेतु डॉलर का एक्सचेन्ज रेट उपार्जन के समय प्रभावी दर पर लिया जायेगा।

9. उन उपार्जनों में जहाँ प्रथय चरण के प्रोजेक्ट एप्रेज़ल डाक्यूमेण्ट के परिशिष्ट–6 के अनुसार विश्व बैंक द्वारा पूर्व समीक्षा एवं अनापत्ति अपेक्षित है, विश्व बैंक से परियोजना की स्वीकृति होने तक यह अनापत्ति परियोजना समन्वय इकाई से प्राप्त की जायेगी।

उक्त आदेश कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अनुमति से कार्यकारिणी समिति, डास्प से अनुमोदन की प्रत्याशा में निर्गत किये जा रहे हैं व तत्काल प्रभावी होंगे।

(एम0 देवराज)
परियोजना समन्वयक
डास्प

पृष्ठांकनः 18/030/एच/वि0 एवं ले0/98 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष, डास्प को अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, पशुधन, दुग्ध विकास, मत्स्य, कृषि विपणन।
4. विशेष सचिव, समन्वय, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, कृषि, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, पशुधन, मत्स्य, मण्डी परिषद एवं प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0।
6. नोडल अधिकारी, डास्प, कृषि, उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण, पशुधन, मत्स्य, मण्डी परिषद एवं पी0सी0डी0एफ0।
7. समस्त अधिकारी, पी0सी0यू0, डास्प।
8. वरिष्ठ प्रबन्धक, उपार्जन।
9. गार्ड फाइल।

(एम0 देवराज)
परियोजना समन्वयक
डास्प